अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

५२१/१९/प्राअज छीतर बनाम श्रीराम

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2019/00521 श्री गिरीश शर्मा — श्री हेमराज गुप्ता - 2 — अप्रार्थी सं - 1,3,4,5,6	
3/8/2021	छीतर वगैरह बनाम श्रीराम वगैरह	

प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 के अभिभाषक श्री हेमराज गुप्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि उक्त अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष विचाराधीन थी जिसमें अप्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष मुतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक से मान्नीय न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण किया गया तथा उभय पक्षों को दिनांक 13.08.2018 को उपस्थित होने की तारीख पेशी नियत की गई। उक्त तारीख पेशी पर प्रार्थी को अवगत नहीं कराया गया तथा प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा किसी दूसरे अभिभाषक को मान्नीय न्यायालय के समक्ष नियुक्त नहीं किए जाने से उक्त अपील दिनांक 13.08.2018 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी। अभिभाषक की गलती का हर्जाना पक्षकार को नहीं दिया जाकर उक्त अपील को पुनः नम्बर पर ली जाकर गुणावगुण पर तय किया जाना न्यायोचित है। मान्नीय न्यायालय से प्रार्थना है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील वास्ते सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लेने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि उक्त प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक से मान्नीय न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण किया गया था। भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने अपनी आदेशिका दिनांक 09.07.2018 द्वारा उभय पक्षकारान को दिनांक 13.08.2018 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया था। इस प्रकार प्रार्थीगण को उपस्थिति होने की जानकारी होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से उक्त अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश दिये थे जो विधिवत् है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाजदायरी को खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रकरण भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक से न्यायालय हाजा के समक्ष स्थानान्तरित किया गया। जिसकी जानकारी अभिभाषक अपीलांट ने अपीलांट को नहीं दी होगी इसलिए न्यायालय द्वारा उक्त अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश दिये थे। मान्नीय उच्चतर न्यायालय ने अपने विभिन्न आदेशों में यह कथन किया कि "वकील की गलती के कारण मामला खारिज तथा मुवक्किल पीड़ित नहीं होना चाहिए" एवं प्रकरण तकनीकी बिन्दु पर खारिज नहीं किये जाकर, मेरिट पर निस्तारण किये जाना चाहिए। हम उक्त बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करना उचित समझते है। अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 13.08.2018 को निरस्त किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर